ARCEE INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off. & Works : 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar-125 001, INDIA
Ph. : 01662-276178 Mobile : 98120-20111/40111/40222 Fax : 01662-276145
E-Mail : arceeind@rediffmail.com CIN: L29120HR1992PLC031681

February 11, 2023

Corporate Relationship Department,
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,MUMBAI- 400 001.
SECURITY CODE NO. 520121

Sub: Newspaper Publication For Unaudited Financial Results For The Quarter Ended On December 31, 2022.

Dear Sir/Madam.

Please find enclosed herewith Newspaper Publication of Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended on 31st December, 2022 which is published in The Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper) on 11.02.2023.
This is for your information in your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For: ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Srishti Digitally signed by Srishti Date: 2023.02.11 11:51:48 +05'30'

(SRISHTI)
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER

ramprasad@auctiontiger.net & support@auctiontiger.net

AUTHORISED OFFICER
Pegasus Assets Reconstruction Private Limited
(Trustee of Pegasus Group One Trust -37)

Place: New Delhi
Date: 11-02-2023

Date: 10.02.2023 DIN: 00040348

...nce Company Limited

...ennai – 600 001.
...agh, New Delhi - 110 005

...TIES
...ssets and Enforcement of Security Interest Act,

...that the below described immovable properties
...ised Officer of Cholamandalam investment and
...mpany Limited . The Secured Assets will be sold

...la-lap.procure247.com/

...erve Price, Earnest Money Deposit & Bid Increment Amount (In Rs.)	E-Auction Date and Time, EMD Submission Last Date Inspection Date
Rs. 91,00,000/- Rs. 9,10,000/- Rs.1,00,000/-	28.02.2023 at 11.00 a.m to 1:00 p.m 27.02.2023, 10.00 am to 5.00p.m As per appointment
Rs. 5,65,00,000 /- Rs.56,50,000/- Rs.1,00,000/-	28.02.2023 at 11.00 a.m to 1:00 p.m 27.02.2023, 10.00 am to 5.00p.m As per appointment

... https://www.cholamandalam.com/auction-
...med Rahees – 81240 00030), Ms.Procure247.;
...r247.com, parin@tender247.com
...olamandalam.com/auction-notices to take

...(ENFORCEMENT) RULES,2002
...lam Investment and Finance Company Limited

ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar - 125001 (Haryana)
Website: www.arceeindustries.in CIN No. L29120HR1992PLC031681
Ph No. 98120-20111, 98120-40111, EMAIL ID: arceeind@rediffmail.com

Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine month Ended on 31.12.2022

(Rs. in lakhs except as stated)

Particulars	Quarter ending 31.12.2022	Quarter ending 31.12.2021	Nine Months ending 31.12.2022	Nine Months ending 31.12.2021	Year Ended 31.03.2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Revenue from operation (Including Other Income)	520.68	696.93	1791.55	2319.31	3425.35
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(36.78)	(44.95)	(137.43)	(20.04)	63.84
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(36.78)	(44.95)	(137.43)	(20.04)	63.84
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(36.78)	(44.95)	(137.43)	(20.04)	46.49
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	-	-	-
Equity Share Capital	513.88	513.88	513.88	513.88	513.88
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	44.92
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)- a) Basic	(0.72)	(0.87)	(2.67)	(0.39)	0.90
b) Diluted	(0.72)	(0.87)	(2.67)	(0.39)	0.90

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)Regulations, 2015.The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com).
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th February, 2023, a Limited Review of the same has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.

For and on behalf of Board of Directors
Arcee Industries Limited
Sd/-
Shruti Gupta
DIN-01742368, Director

Place: Hisar
Date : 10.02.2023

हरियाणा के अस्पतालों में डाक्टरों, स्टाफ के लिए 'ड्रेस कोड'

अस्पतालों में जींस, टी-शर्ट में नहीं आएंगे डाक्टर, अन्य स्टाफ प्लाजो, गहने, मेकअप-लंबे नाखून पर भी रोक

चंडीगढ़, 10 फरवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा के अस्पतालों में डाक्टर और अन्य स्टाफ के लिए 'ड्रेस कोड' तैयार किया गया है। इसके तहत अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य स्टाफ के लिए जींस, टी-शर्ट, प्लाजो, बैकलेस टाप, स्कर्ट जैसी वेशभूषा पहनने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लंबे नाखून रखने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

पुरुषों के बाल कालर की लंबाई से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये सभी पाबंदियां नए ड्रेस कोड में बताई गईं हैं।

राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने इस बाबत कहा कि हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों/स्वास्थ्य सुविधाओं में अब सभी स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। इसके लिए बाकायदा डिजाइनर से यूनिफार्म डिजाइन भी करवाई गई है तथा सभी के लिए यूनिफार्म पहनना अब अनिवार्य भी होगा।

विज ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में जारी एक बयान में बताया कि विभाग की बैठक में अस्पतालों में सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफार्म पहनने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रेस कोड से अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और अच्छा भी होगा। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड न होने से अस्पताल में पता ही नहीं चलता कि डाक्टर कौन है और मरीज कौन है।

ड्रेस कोड नीति के उद्देश्य के संबंध में विज ने बताया कि कुछ नीतियों के तहत चलने वाले अस्पताल को अपने कर्मचारियों से कुछ कोड और आचरण की आवश्यकता होती है और ड्रेस कोड इसका हिस्सा होता है। कोड नीति का उद्देश्य अनुशासन के तहत कर्मचारियों के बीच एकरूपता और समानता बनाना भी है।

पुरुष व महिला कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी

विज ने बताया कि सभी अस्पताल कर्मचारी (नियमित/अनुबंधित/एनएचएम/अन्य) क्लीनिकल (मेडिकल और पैरामेडिकल), जो स्वच्छता और स्वच्छता सुरक्षा, परिवहन, तकनीकी कार्यकर्ता, रसोई कार्यकर्ता, क्षेत्र कार्यकर्ता हैं, वर्दी में होने चाहिए। इसी प्रकार, प्रशासनिक कार्य देखने वाले कर्मचारी अस्पताल में केवल औपचारिक वेशभूषा ही पहनेंगे (जींस या टी शर्ट नहीं)। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी को उस दिन अनुपस्थित चिह्नित किया जाएगा।

हर समय लागू रहेगा 'ड्रेस कोड'

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ड्रेस कोड सप्ताह में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, सप्ताहांत, शाम और रात की पाली सहित लागू होगा। कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए और इतने तंग या खुले नहीं होने चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से अलग हो जाएं। प्रत्येक कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह साफ-सुथरे कपड़े पहनें और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। इसी प्रकार, बाल अच्छी तरह से बनाए होने चाहिए और साफ होने चाहिए। पुरुषों के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए और रोगी की देखभाल में बाधा नहीं आनी चाहिए। असामान्य हेयरस्टाइल और अपरंपरागत हेयर कट की अनुमति भी नहीं होगी।

जींस, डेनिम स्कर्ट पहनने पर रोक

किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर ड्रेस नहीं माना जाएगा और इनको पहनने की अनुमति नहीं होगी। स्वेटशर्ट, स्वेट सूट, शॉर्ट्स की अनुमति भी नहीं होगी। स्लैक्स, ड्रेस, स्कर्ट और प्लाजो को पहनने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे ही, टी शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, चमड़े की पैंट, कैपरी, कसे हुए कपड़े, स्वेटपैंट, टैंक टॉप, स्ट्रैपलेस/बैकलेस टॉप, क्राप टॉप, बड़े गले वाला टॉप, ऑफ शोल्डर ब्लाउज स्नीकर्स, चप्पल आदि की अनुमति नहीं होगी। जूतों के संबंध में नीति के तहत जूते काले आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चरम पोशाक शैलियों, बाल शैलियों, भारी गहने, अतिरिक्त श्रृंगार, लंबे नाखून काम के घंटों के दौरान अस्वीकार्य होंगे। नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम अंकित होगा। अस्पताल के स्टाफ को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य भी है। नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर संबंधित पदनाम के प्रशिक्षु सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पैंट कोई भी पहन सकता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेवाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी नेम प्लेट के साथ ड्रेस कोड की अपनी प्रणाली के साथ कार्य पर रहेंगे। यदि प्रस्तावित ड्रेस कोड नीति में कोई पदनाम पद छूट गया है, तो कर्मचारी द्वारा समान पदनाम पर ड्रेस कोड पहना जाएगा।

संदीप सिंह को विधानसभा सत्र में न बुलाएं मुख्यमंत्री : सोनिया दूहन

कहा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बर्खास्तगी के लिए सरकार पर बनाएं दबाव

चंडीगढ़, 10 फरवरी (जनसत्ता)।

राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दूहन ने संदीप सिंह के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल में अगर जरा सी भी नैतिकता बची है तो वह संदीप सिंह को विधानसभा के बजट सत्र में न शामिल होंने दें। संदीप सिंह जैसे व्यक्ति अगर सदन के भीतर प्रवेश करेंगे तो सदन की मर्यादा कलंकित होगी।

सोनिया दूहन ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था। जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चंडीगढ़ पुलिस एफआइआर दर्ज करने के बाद भूल गई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदीप सिंह को 26 जनवरी को पिहोवा में ध्वज फहराने की इजाजत दी। वह जब इसका विरोध करने लगी तो उनके साथ संदीप सिंह के इशारे पर अभद्रता की गई। पुलिस उनके रिश्तेदारों पर लगातार दबाव बना रही है। सोनिया दूहन ने कहा कि अब भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकारिणी की बैठक में संदीप सिंह को न बुलाकर सही फैसला किया है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। धनखड़ को चाहिए कि वह सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए।

सोनिया दूहन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता से अपील की कि वह विधानसभा की गरिमा को बचाने के लिए संदीप सिंह को पवित्र सदन में प्रवेश न करने दें। संदीप सिंह जैसे लोग अगर सदन के भीतर प्रवेश करेंगे तो सदन की मर्यादा भंग होगी। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो वह खापों के साथ मिलकर इस बारे में कोई ठोस फैसला लेने को मजबूर होंगी।

हिसार में स्कूल के चपरासी पर बच्ची से बलात्कार का आरोप

आरोपी चपरासी और प्रिंसीपल के खिलाफ मामला दर्ज

चंडागढ़, 10 फरवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा के हिसार के एक कस्बे के सरकारी स्कूल के चपरासी द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में छुट्टी के बाद वह बच्ची को लड्डू खिलाने के बहाने क्लर्क के दफ्तर में ले गया, जहां बच्ची का मुंह दबाकर उससे बलात्कार किया। आरोप यह भी है कि जब पीड़ित छात्रा ने स्कूल की प्रिंसिपल को बताया तो उसने धमकाते हुए किसी को भी इस बारे में न बताने को कहा। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर चपरासी व प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया।

शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची गांव के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है। शाम के साढ़े तीन बजे छुट्टी होने के बाद जब अपने घर पहुंची तो वह बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि स्कूल के चपरासी ने सात फरवरी को दोपहर के एक से दो बजे के बीच क्लर्क के कमरे में बुलाया था। वहीं पर उसने उसे लड्डू देने के बहाने छेड़छाड़ की तथा गालों पर चूमा। उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद उसने कहा कि अगर तूने यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के बारे में प्रिंसीपल को बताया तो उनकी बेटी को बुलाकर धमकाया। प्रिंसीपल ने कहा कि अगर तुमने बात किसी को बताई तो मैं तुझे स्कूल से निकाल दूंगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं व पोक्सो एक्ट के तहत स्कूल के चपरासी और प्रिंसीपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

दसवीं, बारहवीं के विद्यार्थियों को जमा करवाने होंगे टैब (चंडीगढ़): हरियाणा सरकार ने दसवीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के तुरंत बाद टैब जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं।

दीपक स्पिनर्स लिमिटेड

CIN: L17111HP1982PLC016465, पंजीकृत कार्यालयः 121, औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि. प्र.- 173205, दूरभाष नं. 0172-2650973, 2650974, वेबसाइटः www.dsl-india.com, ईमेलः usha@dsl-india.com

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2022 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2022 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2021 अनंकेक्षित	समाप्त नौ महीनें 31.12.2022 अनंकेक्षित	समाप्त नौ महीनें 31.12.2021 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2022 अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	13,967	15,768	14,998	45,199	39,318	53,155
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, सामान्य और असाधारण मदों से पूर्व)	1,147	1,758	1,424	4,576	3,662	5,259
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	1,147	1,758	1,424	4,576	3,662	5,259
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	856	1,309	1,060	3,411	2,736	3,929
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	856	1,309	1,060	3,411	2,736	3,940
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य- 10 रुपये प्रति शेयर)	719	719	719	719	719	719
7	अन्य इक्विटी	-	-	-	-	-	18,979
8	मूल तथा तनुकृत आय प्रति शेयर (31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष को छोड़कर वार्षिकी नहीं)	11.91	18.21	14.74	47.44	38.05	54.64

टिप्पणीः उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल तिमाही/नौ महीनें के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/नौ महीनें के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) और यूआरएल पर कंपनी की वेबसाईट www.dsl-india.com पर उपलब्ध हैं।

हिते एवं कृते निदेशकों का बोर्ड
पी. के. डागा
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

स्थानः चंडीगढ़
तिथिः 10.02.2023

बेअदबी और गोलीकांड की घटनाओं का इंसाफ दिलाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध : मुख्यमंत्री

सिख संगत से की बहबल कलां में राष्ट्रीय राजमार्ग से जाम खोलने की अपील

चंडीगढ़, 10 फरवरी (जनसत्ता)।

पंजाब सरकार द्वारा बहबल कलां और कोटकपूरा की घटनाओं में इंसाफ़ को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को संगत को राहगीरों की मुश्किलों को देखते हुए बहबल कलां में सड़क से जाम हटाने की अपील की।

लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड एवं बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं ने हरेक इंसान की मानसिकता पर गहरे जख्म दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाओं का इंसाफ़ मिलेगा और इन घृणित अपराधों के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख़्शा नहीं जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही इंसाफ़ दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इन अपराधों में जो भी लोग शामिल हैं, वह जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहबल कलाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम के कारण आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस परेशानी से बचाया जाना चाहिए और इसलिए वह संगत को लोक-हित में सडक़ से धरना हटाने की अपील करते हैं। अकालियों और कांग्रेसियों पर बरसते हुए भगवंत मान ने कहा कि न दोनों पार्टियों ने इन घटनाओं के दोषियों को बचाने के लिए साँठ-गाँठ की हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की घटनाएँ अकाली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थीं, परन्तु कांग्रेस ने बरगाड़ी बेअदबी और अन्य सम्बन्धित घटनाओं की बारीकी से पड़ताल न करवाकर दोषियों को बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। भगवंत मान ने आगे कहा कि दोषियों को बचाने वाला अकाली-कांग्रेस गठजोड़ 'आप' सरकार के सत्ता में आने के बाद टूटा। उन्होंने कहा कि दोषियों को पकडऩे के लिए पंजाब सरकार शिद्दत से कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने और लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए इन दोनों घटनाओं में इंसाफ़ को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

तीन किलो हेरोइन, पिस्तौल बरामद

चंडीगढ़, 10 फरवरी (जनसत्ता)।

पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ संयुक्त अभियान में तरनतारन के गांव मियांवाल के सीमावर्ती इलाके से एक-एक किलो के हेरोइन के तीन पैकेट के साथ एक 0.30 बोर की पिस्तौल, मैग्जीन और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस खेप को पाक स्थित तस्करों ने सीमा पार से एक ड्रोन का उपयोग करके फेंका था।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को खेमकरण इलाके में भारत-पाक सीमा के पास ड्रोन की आवाज़ सुनने पर एक नागरिक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तरनतारन ज़िले की पुलिस टीमों ने तुरंत सूचना बीएसएफ के साथ साझा की और संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में एक तलाशी अभियान शुरू किया, जो भारत-पाक सीमा से 1 किमी के दायरे में था।

धर्मसोत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मोहालीः मोहाली की एक अदालत ने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 7वां, के.एम बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार-125001 (हरियाणा)
वेबसाइटः www.arceeindustries.in CIN No. L29120HR1992PLC031681
फोन नं0.: 98120-20111, 98120-40111, ईमेल आईडीः arceeind@rediffmail.com

31.12.2022 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(रू. लाखों में कथित को छोड़कर)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2022 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2021 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2022 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2021 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2022 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से राजस्व (अन्य आय शामिल)	520.68	696.93	1791.55	2319.31	3425.35
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पहले)	(36.78)	(44.95)	(137.43)	(20.04)	63.84
कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(36.78)	(44.95)	(137.43)	(20.04)	63.84
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(36.78)	(44.95)	(137.43)	(20.04)	46.49
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर कैपिटल	513.88	513.88	513.88	513.88	513.88
पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व्स को छोड़कर)	-	-	-	-	44.92
प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10/- के) (चालू और बंद प्रचालन के लिए)					
ए) बेसिक	(0.72)	(0.87)	(2.67)	(0.39)	0.90
बी) डायल्यूटिड	(0.72)	(0.87)	(2.67)	(0.39)	0.90

टिप्पणीः

1. सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, ऊपर दर्ज की गई त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।
2. 10 फरवरी, 2023 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसी की सीमित समीक्षा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
श्रुति गुप्ता
DIN-01742368, निदेशक

स्थानः हिसार
तिथिः 10.02.2023

लावारिस पशुओं को उपायुक्त कार्यालय बाहर बांधेंगे किसान

अंबालाः अंबाला में शहर की सड़कों और गांवों में बढ़ रहे लावारिस पशु शहरवासियों और किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। प्रशासन के लिए भी यह एक बड़ी मुसीबत बन गई है कि इन पर कैसे काबू पाया जाए। शहर की ज्यादातर गौशालाएं भरी पड़ी हैं जिसके चलते नगर निगम भी पसोपेश में है कि आखिर इन लावारिस पशुओं को पकड़ कर कहाँ रखा जाए।

जिला अदालत में वकीलों ने काम किया ठप

चंडीगढ़, 10 फरवरी (जनसत्ता)।

चंडीगढ़ जिला अदालत के वकीलों ने शुक्रवार को पुलिस का विरोध करते हुए डेढ़ घंटे काम ठप रखा। वकीलों के विरोध का कारण कौमी इंसाफ मोर्चा के जत्थे द्वारा यूटी के पुलिसकर्मियों से मारपीट और लूट के दर्ज मामले में वरिष्ठ वकील अमर सिंह चहल और दिलशेर सिंह को नामजद करना रहा।

वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी चंडीगढ़ को बताया कि वारदात के समय अमर सिंह चहल जेएमआईसी जसप्रीत सिंह मनहास की अदालत में उपस्थित थे। उस दौरान जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ वकील एनके नंदा समेत वकील विकास शील सोनी और भूपिंदर राणा समेत अन्य वकील भी अदालत कक्ष में मौजूद थे। वकीलों ने चंडीगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया है। बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल वकील अमर सिंह चहल और वकील दिलशेर सिंह चहल का नाम दर्ज केस से हटाने के लिए एसएसपी चंडीगढ़ को ज्ञापन भी देगा।

जिला अदालत के वकीलों के एकसाथ काप ठप करने पर डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल सेक्टर-36 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह भुल्लर और सेक्टर-34 थाना प्रभारी दविंदर सिंह के साथ जिला अदालत परिसर पहुंचे। उन्होंने यहां वकीलों से बातचीत की। जिला अदालत की एग्जीक्यूटिव बॉडी, वकील एनके नंदा, अशोक चौहान, टीएस सुडान और सुकम गुप्ता ने डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल से बातचीत की। वकीलों के अनुसार डीएसपी चंदेल ने दर्ज केस में अमर सिंह चहल का नाम अनजाने में अंकित होने की बात कही। उन्होंने चहल का नाम दर्ज केस से हटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी वकील अपने काम पर लौटे।

बंदी सिखों की रिहाई की मांग

कौमी इंसाफ मोर्चा बीते कई दिनों से बंदी सिखों की रिहाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पक्का मोर्चा के तहत जिन सिख कैदियों की रिहाई की मांग की जा रही है, उनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड का दोषी एवं बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी जगतार सिंह हवारा है। उसकी फांसी को उम्रकैद में बदलते हुए अदालत ने उसे आजीवन जेल में रखने का फैसला सुनाया था। जबकि बेअंत सिंह हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाला बलवंत सिंह राजोआणा और दिल्ली के 1993 के बम विस्फोट का दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर मुख्य है।

विरोध प्रदर्शन के बाद खोला ताला | हंगामा | लोगों के एकजुट होने पर हुई कार्रवाई

धर्मार्थ प्रयोगशाला बंद कराने के विरोध में महापौर ने दिया धरना

चंडीगढ़, 10 फरवरी (जनसत्ता)।

चंडीगढ़ के सेक्टर-24 स्थित भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर शुक्रवार को उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब चंडीगढ़ प्रशासन और महापौर अनूप गुप्ता आमने-सामने हो गए। दरअसल, प्रशासनिक टीम इस इमारत में नियमों के उल्लंघन (बिल्डिंग वॉयलेशन) को लेकर लैब को सील करने पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने लैब के सभी डॉक्टर, टेक्निशियन और स्टाफ समेत मरीजों और उनके तीमारदारों को लैब से बाहर निकाल दिया।

लैब को सील करने की खबर मिलते ही महापौर अनूप गुप्ता और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामबीर भट्टी समेत अन्य वहां आ पहुंचे। महापौर अनूप गुप्ता और रामबीर भट्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट लैब के डायरेक्टर समेत अन्य मेंबर्स प्रशासनिक टीम से बातचीत करने लगे। इस दौरान उनके बीच मामूली बहस भी हुई। लेकिन प्रशासनिक टीम द्वारा कार्रवाई कर लैब को सील कर दिया गया। लेकिन कार्रवाई नहीं रोकने पर महापौर अनूप गुप्ता समेत अन्य नेता और लैब स्टाफ मौके पर ही धरने पर बैठ गए। जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई का जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जिसके बाद प्रशासन को लैब खोलनी पड़ी।

प्रशासन ने खोली प्रयोगशाला

महापौर को धरने पर बैठा देख बतादें कि मामले में महापौर अनूप गुप्ता ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम को लैब पर की जा रही कार्रवाई रोकने के लिए कहा। लेकिन जब प्रशासन की टीम ने महापौर की एक न सुनी तो महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामवीर भट्टी अपने समर्थक और लैब के कर्मचारी वहीं धरने पर बैठ गए। मामला गरमाता देख प्रशासनिक टीम को कार्रवाई अधर में रोक कर पीछे हटना पड़ा। विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होने और लोगों के एकजुट होने पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को लैब दोबारा खोलनी पड़ी। इसके बाद लैब स्टाफ ने दोबारा काम शुरू किया। गौरतलब है कि यह लैब साल 1992 से संचालित है और ट्रस्ट से कई राजनीतिक व अन्य लोग सालों से जुड़े हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट लैब में एमआईआर, सीटी-स्कैन, ईसीजी, ब्लड टेस्ट समेत कई अन्य टेस्ट सरकारी लैब से भी कम कीमत पर किए जाते हैं।